दैनिक जागरण

जो चीजें कष्ट पहुंचाती हैं वहीं सिखाती भी हैं

लोकतंत्र का उत्सव

निर्वाचन आयोग की ओर से आम चुनाव की तिथियां तय कर देने के साथ ही देश लोकतंत्र का उत्सव मनाने की दिशा में बढ़ चला है। पिछले आम चुनाव में मतदान के नौ चरणों के मुकाबले इस बार सात चरण घोषित होने से यह तो स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग पहले के मुकाबले कुछ और समर्थ हुआ है, लेकिन उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कम से कम लंबी हो। आज के इस तकनीकी युग में अपेक्षाकृत छोटी चुनाव प्रक्रिया के लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया न केवल यथासंभव छोटी होनी चाहिए, बल्कि वह राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के छल-कपट से मुक्त भी होनी चाहिए। यह सही है कि पहले की तुलना में आज की चुनाव प्रक्रिया कहीं अधिक साफ-सुथरी और भरोसेमंद है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वह बेहद खर्चीली होने के साथ ही धनबल से भी दुष्प्रभावित होने लगी है। विडंबना यह है कि चुनाव लड़ने वाले इस आशय का शपथपत्र देकर छुट्टी पा लेते हैं कि उन्होंने तय सीमा के अंदर ही धन खर्च किया। यह विडंबना तब है जब हर राजनीतिक दल और खुद निर्वाचन आयोग भी इससे अवगत है कि आज चुनावों में किस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब तो हालत है कि पैसे बांटकर चुनाव जीत लेने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। समस्या यह है कि जहां जागरूक जनता चुनावी खामियों को दूर करने की जरूरत महसूस करती है वहीं राजनीतिक दल ऐसी किसी जरूरत पर ध्यान ही नहीं देते। यह अच्छा नहीं हुआ कि बीते पांच साल में न तो कोई ठोस राजनीतिक सुधार किया गया और न ही चुनावी सुधार। आम चुनाव को भले ही लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन सच यह है कि इस उत्सव में राजनीतिक बैर भाव अपने चरम तक पहुंचता दिखता है। कई बार परस्पर विरोधी राजनीतिक दल-एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। वे न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन-अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए झूठ और कपट का सहारा भी लेते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव के मौके पर राजनीतिक विमर्श रसातल में चला जाए। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों से यह उम्मीद कम ही है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। अपने देश में यह एक बीमारी सी है कि बाकी समय तो हम सब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को कोसते हैं, लेकिन वोट देते समय जाति-मजहब को ही महत्व दे देते हैं। जात-पांत के आधार पर राजनीति इसीलिए होती है, क्योंकि एक तबका इसी आधार पर वोट देता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार राष्ट्रहित के मसलों से अधिक महत्व संकीर्ण स्वार्थों को दे दिया जाता है। चूंकि आम चुनाव देश के भविष्य के साथ राजनीति की भी दशा-दिशा तय करते हैं इसलिए आम मतदाता का इस भाव से लैस होना जरूरी है कि वह वोट के जरिये एक महती काम करने जा रहा है।

अधूरी योजनाओं से झटका

स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड नया आयाम गढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में हजारीबाग, दुमका और पलामू में एक-एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन इसकी बानगी है। सरकार के इस प्रयास से राज्य में मेडिकल की सीट बढ़कर 650 हो जाएगी। माना जा रहा है कि चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे झारखंड के अस्पतालों को इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। इससे इतर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के निमित्त खड़ी की गई दर्जनों संरचनाओं का कोई पुरसाहाल नहीं है। इनमें लाखों की लागत पर निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हैं तो अरबों की लागत से तैयार सदर अस्पताल तक के भवन भी। इन केंद्रों और अस्पतालों का संचालन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां अबतक मानव संसाधन बहाल नहीं किए गए हैं। कहीं बिजली बहाल नहीं हुई है तो कहीं जलापूर्ति की किल्लत है, कहीं उपकरण है तो ऑपरेटर नहीं है, कहीं चिकित्सक हैं तो पारा मेडिकल स्टाफ नदारद। लोहरदगा के पेशरार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसकी बानगी है। इसका निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ। 1.06 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद ठेकेदार ने निर्माण कार्य बिना बताए बंद कर दिया। इसके लिए न तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और न ही अभी तक इसका निर्माण कार्य ही पूरा हुआ। इस परियोजना के धरातल पर उतर आने से आसपास के 73 गांवों के लगभग 31 हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलतीं। वित्तीय वर्ष 2007-08 की ऐसी 93 स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जो आज भी आधी-अधूरी हैं। 500 बेड वाला रांची सदर अस्पताल भी इनमें से एक है। इंजीनियरों और अफसरों की लापरवाही की वजह से इस आधे-अधूरे भवन के 200 बेड पर किसी तरह इलाज शुरू हो सका। राज्य के लिए यह स्थिति चिंतनीय है। स्वास्थ्य के राष्ट्रीय बेंचमार्क पर कई मामलों में पिछड़े इस राज्य को स्वास्थ्य के मानकों पर स्थापित करने के लिए जरूरी है आत्म चिंतन की। जरूरत है एक स्पष्ट नीति बनाने की ताकि परियोजनाएं बिना किसी लागलपेट के समय पर पूरी हो सकें।

भारत विरोध की ग्रंथि से पीड़ित पाकिस्तान

हृदयनारायण दीक्षित

प्राचीन भारतीय संस्कृति और विरासत का सहभागी होने के बावजूद पाकिस्तान की भारत विरोधी ग्रंथि उसे अक्सरआत्महत्या के लिए उकसाती रहती है

कृत्रिम में प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होता। अप्राकृतिक में प्राकृतिक गुणसूत्र नहीं होते। राष्ट्र गठन का आधार सांस्कृतिक तत्व होते हैं। पाकिस्तान स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है। पुलवामा और बालाकोट की घटनाओं के बाद पाकिस्तान की मानसिकता अंतरराष्ट्रीय विवेचन का विषय बनी है। भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान 1947 तक भारत था। इसके पहले यह भाग ब्रिटिश सत्ता में था। अतीत में यह मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का भी भाग था। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। अभी दो वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बख्शाली गांव से बख्शाली लिपि में लिखित शून्य की जानकारी मिली थी। भारत को इस प्राचीन ज्ञान पर गर्व है। भारतीय दर्शन एवं ज्ञान शोध के तमाम भू-भाग अब पाकिस्तान में हैं। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक है। कौटिल्य वहीं आचार्य थे। यहां भारत के मन को आनंद देने वाली सिंधु नदी का क्षेत्र भी है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी प्राचीन भारतीय विरासत के बावजूद पाकिस्तान की मानसिकता भारत विरोधी क्यों है? वह भारत जैसा होने को बेताब है, लेकिन उसके मन की भारत विरोधी ग्रंथि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया करती है। आखिर उसे अपने मुल्क की बेहतरी की चिंता क्यों नहीं है? भारत को ही नीचा दिखाने की मानसिकता का रहस्य क्या है?

पंथ, मजहब की बुनियाद पर राष्ट्र नहीं बनते। मौलाना मौदूदी इस्लामी विद्वान ने 'मसल्लम कौमियत' में लिखा था, 'जहां इस्लाम है, वहां राष्ट्रीयता के लिए कोई जगह नहीं।' स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम मित्रों की कम भागीदारी से गांधी जी चिंतित थे। 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट' के उद्धरण में मौदूदी के मुताबिक 'मुसलमान भी भारत की आजादी के उतने ही इच्छुक थे, जितने बाकी लोग, लेकिन वे इसे एक पड़ाव मानते थे।' एफके दुर्रानी ने 'मीनिंग ऑफ पाकिस्तान' में इसका खुलासा किया, 'पाकिस्तान का निर्माण इसलिए जरूरी था कि इसे शिविर बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए। मुस्लिम लीग मजहबी आधार पर अलग मुल्क मांग रही थी। उसकी मुहिम में लाखों गैर-मुस्लिम मारे गए थे। खूब रक्तपात हुआ। फिर देश बंट गया। भारत ने नवंबर 1949 में संविधान बनाया। पाकिस्तान का संविधान सात साल बाद 1956 में बना। पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी गणराज्य घोषित किया। पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के सवाल पर आंदोलन हुआ। इसे कुचलने के लिए 'सर्चलाइट ऑपरेशन' हुआ। लाखों मारे गए। भारत ने हस्तक्षेप किया। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना।

देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते। पाकिस्तान ने 1973 में नया संविधान बनाया। भारतीय संस्कृति की विरासत न 1956 के संविधान में थी और न ही 1973 के नए संविधान में। 1956 के संविधान में यह इस्लामी गणतंत्र था। 1973 में नई बात जुड़ी कि सभी कानून कुरान के अनुसार बनाए जाएंगे। पाकिस्तान भारत की बराबरी चाहता है। भारत में अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ। यह आत्मरक्षा आवश्यकता थी। देखा-देखी पाकिस्तान ने भी किया। लेबनानी विद्वान खलील जिब्रान ने मजेदार बात लिखी थी, 'मेंढक बैलों की तुलना में भले ही अधिक शोर कर लें, लेकिन वे न तो हल खींच सकते हैं और न ही कोल्हू का चक्र हिला सकते हैं।' पाकिस्तानी नेता अक्सर भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं कि तब यहां न चिड़िया बोलेगी और न मंदिर की घंटिया बजेंगी। भारत ने परमाणु धमकी कभी नहीं दी कि तब पाकिस्तान में न अजान होगी और न ही आतंकी ट्रेनिंग स्कूल चलेंगे। पाकिस्तान भारत विरोधी ग्रंथि के चलते बम और युद्ध की धमकियां देता है। आम पाकिस्तानी भारत जैसी समृद्धि और भारत जैसा लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं, लेकिन भारत विरोधी ग्रंथि उसे चैन से नहीं बैठने देती।

पाकिस्तानी मानसिकता में हिंदू समाज के प्रति घृणा है। पाकिस्तान में घृणा भाव की तालीम भी दी जाती है। एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जेडए भुट्टो के सलाहकार रहे खुर्शीद कमाल अजीज 'इतिहास का कत्ल' में लिखते हैं, '1965 और 1971 के युद्धों को पाकिस्तान की विजय के रूप में दर्शाया गया। पुस्तकें छात्रों में भारत और हिंदुओं के प्रति घृणाभाव उत्पन्न करने के लिए तैयार होती हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति का पक्षपातपूर्ण वर्णन, तिरस्कार और यह दावा कि विभाजन के वक्त और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे केवल हिंदुओं, सिखों द्वारा फैलाए गए थे। मुसलमान कहीं भी आक्रमणकारी नहीं थे।' अजीज ने पाठ्य पुस्तक 'मुआशाराती' से उद्धरण दिए, 'राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के मुल्क में घुसने की कोशिश की। इस पर गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। लाहौर हथिया लिया।' पाकिस्तानी स्वयं पर ही हमलावर रहे मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, गजनी को हमलावर नहीं मानते। वे अपनी मिसाइलों का नाम उन पर रखते हैं। हमलावरों के प्रति ऐसी मोहब्बत को क्या कहें? यूरोप में इसे 'स्टाकहोम सिंड्रोम' कहते हैं। स्टाकहोम में अपहर्ताओं के चंगुल में फंसी युवती उन्हीं को दिल दे बैठी थी।

पाकिस्तानी मानस को भारत घृणा के रसायन से विषाक्त किया गया है। पूर्व राजनयिक जेएन दीक्षित ने लिखा, 'भारत विभाजन का उद्देश्य हिंदू क्षेत्रों को छोटे राजनीतिक भूभागों में बांटना एवं उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में पाकिस्तान बनाना था। पाकिस्तान का अंतिम लक्ष्य भारत विखंडन है। भारत सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराने के बावजूद उसके प्रति उदार रहा, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखती है।' वहां यहीं नीतिगत निरंतरता है। हाल में पाकिस्तानी पंजाब के मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने हिंदुओं को अपशब्द कहे। इस पर विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन मूल प्रश्न उनकी मानसिकता का है जो निजी नहीं है। वह पाक की भारत विरोधी ग्रंथि का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

पाक विघटन के कगार पर है। पाकिस्तान बनने के कुछ समय बाद ही पठान, बलूच, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, मोहाजिर समूह पीड़ित महसूस करने लगे थे। शिया, सुन्नी, इस्माइली, दाऊदी बोहरा के टकराव भी सतह पर हैं। पुराना आरोप स्थायी है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को धोखे से मिलाया। 1958, 1963 से 1969 और 2004 में तमाम आंदोलन हुए थे। अब भी जारी हैं। बलूच स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्मिता है। पाक ने बलूचिस्तान आंदोलन को कुचलने के लिए वायु सेना का भी दुरुपयोग किया है। वास्तविक राष्ट्र अपने नागरिकों के विरुद्ध सेना का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पाक में दमन के सभी रास्ते जायज हैं। नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। ईशनिंदा कानून की तलवारें हैं। कोर्ट के निर्णय भी नहीं माने जाते। फौज और आइएसआइ ही असली शासक हैं। पाकिस्तान आतंकवादी प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय है। आतंकी भारत आकर रक्तपात करते हैं। पाकिस्तान सुबूत मांगता है। सुबूत दिए भी जाते हैं। वार्ता की पेशकश होती है। मोदी के नेतृत्व में इस दफा की 'वार्ता' वायुसेना ने की। बालाकोट की वारदात पाकिस्तानी भाषा वाली वार्ता ही थी। देश प्रसन्न है। इसी भाषा से पाकिस्तान की भारत विरोधी ग्रंथि का उपचार होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

दोहरे लाभ वाला कारगर कदम

जीएन वाजपेयी

कंस्ट्रक्शन में तेजी से रोजगार सृजन के साथ ही सभी के लिए घर की जरूरत का राष्ट्रीय सपना भी साकार होगा

बीते साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में तापमान लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हाड़ कंपा देने वाली ऐसी सर्दी में सबसे ज्यादा आफत बेघर लोगों पर ही आती है। बेरहम सर्दी से बचने के लिए उनके पास रैनबसेरों में आसरा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मगर रैनबसेरों में भी लोगों का अंबार लगा रहता है। यहां तक कि इन रैनबसेरों में भी सुविधाओं का नितांत अभाव होता है। वहां रहने वालों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए किराये पर घर लेना संभव नहीं है। जब राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है तो फिर दूरदराज के इलाकों के हालात की बस कल्पना ही की जा सकती है। वहां तो रैनबसेरों का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखेगा। इसकी वजह से भीषण गर्मी या सर्दी के प्रतिकूल मौसम में तमाम लोगों की मौत तक हो जाती है। भारत में लोगों के पास घर न होना एक बड़ी समस्या है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार भारत में करीब दो करोड़ घरों की कमी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से एलान किया था कि वर्ष 2022 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें किफायती मकानों के निर्माण से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ब्याज दरों में छूट दी जा रही है। सरकार की तमाम योजनाओं और उन्हें सिरे चढ़ाने के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों से इस लक्ष्य प्राप्ति में उसकी ईमानदारी झलकती है। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में योजना के तहत 72.66 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। योजना के तहत काफी संख्या में मकानों का निर्माण हो चुका है और उनमें से तमाम मकान लोगों को आवंटित भी हो चुके हैं। प्रत्येक बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को मकान जैसी सुविधा उपलब्ध कराने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, उनके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और इसका सीधा असर बेहतर उत्पादकता में भी नजर आएगा। वहीं यह भी एक सकारात्मक पहलू है कि मकानों की कमी में अंतर की भरपाई के लिए होने वाली इस कवायद से जुड़ी गतिविधियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को रफ्तार मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

भारत में कृषि के बाद भवन निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा रोजगारप्रदाता क्षेत्र है। इसमें कच्ची सामग्री से लेकर विनिर्मित उत्पादों से संबंधित करीब 269 छोटे-बड़े उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें इस्पात, सीमेंट, पेंट, फर्नीचर से लेकर तमाम छोटे उद्योगों के उत्पादों की बड़ी भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 14 बड़े उद्योगों की सूची में कंस्ट्रक्शन तीसरे पायदान पर आता है। कंस्ट्रक्शन में निवेश होने वाले प्रति एक रुपये से जीडीपी में 78 पैसों का जुड़ाव होता है। अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव के मामले में भी कंस्ट्रक्शन परिवहन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे है और इस पैमाने पर चौथे स्थान पर आता है।

परंपरागत रूप से कंस्ट्रक्शन असंगठित, छितरा हुआ और टुकड़ों में बंटा हुआ कारोबार रहा है जिसे संगठित करने की कवायद में सामने आनी वाली संक्रमणकालीन चुनौतियों के चलते इसकी रफ्तार कुछ सुस्त पड़ गई है। निर्माण गतिविधियों में आए इस ठहराव से रोजगार के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ा। हालांकि सुधारों की यह प्रक्रिया लगभग आकार ले चुकी है और यह उद्योग भी अब इससे संभलकर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। असल में कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े सभी अंशभागियों जैसे निवेशकों, खरीदारों और कर्जदाताओं सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये सुधार अपरिहार्य ही नहीं अनिवार्य हो चले थे। इन सुधारों से ही प्रत्येक परिवार के लिए घर के राष्ट्रीय सपने का साकार होना संभव है। सुधारों की प्रक्रिया में महसूस हुआ कुछ दर्द भी ऊंची वृद्धि के मरहम से जल्द ही हवा होने वाला है। इससे आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

दुनिया को हतप्रभ कर देने वाली चीन की तेज रफ्तार आर्थिक वृद्धि में कंस्ट्रक्शन उद्योग की बेहद अहम भूमिका रही है। वास्तव में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की चीन के जीडीपी में 15 प्रतिशत और कुल रोजगार में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक अनुमान पर गौर करें तो 50 लाख लोगों के लिए घर जीडीपी में कम से कम एक प्रतिशत का इजाफा कर सकते हैं। केवल कंस्ट्रक्शन उद्योग में ही सालाना 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन के विभिन्न स्तरों पर लगे कामगारों के अलावा प्रॉपर्टी सलाहकारों से लेकर होम डेकोरेटर्स जैसे तमाम पेशेवरों के लिए इससे रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन को अक्सर 'घरेलू वृद्धि का इंजन' भी कहा जाता है।

हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो वाली व्यवस्था बनानी होगी। कर्ज के लिए आसान और लचीली व्यवस्था बनाकर उसे प्रभावी रूप से लागू करना होगा। निजी क्षेत्र को करों में कुछ छूट भी देनी होगी। इसके अलावा निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए व्यावसायिक पैमाने पर नई रणनीतिक विचार प्रक्रिया भी विकसित करनी होगी ताकि उन्हें वित्तीय संसाधन सुलभ हों। इसमें उन्हें दिए गए कर्ज की वापसी और ब्याज की अदायगी भी सुनिश्चित करनी होगी। वास्तव में वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एक अलग श्रेणी बनाकर कंस्ट्रक्शन उद्योग को कर्ज देने के मामले में दीर्घावधिक देनदारी का खाका तैयार करना चाहिए। फिलहाल इसमें कंपनियों को तीन साल तो उपभोक्ताओं को 20 साल की मियाद मिलती है। इससे कर्जदाताओं के लिए परिसंपत्ति-देनदारी की गुत्थी सुलझ जाएगी और उनकी आगे की राह आसान होगी।

रेरा, जीएसटी और आरईआइटी जैसे तमाम सुधारों में कंस्ट्रक्शन उद्योग को वह शक्ति देने की क्षमता है जिसमें वे विकसित देशों की कंपनियों की तर्ज पर काम कर सकती हैं। हालांकि तेज वृद्धि के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोशिशों के बीच बेहतर समन्वय के लिए शुरुआती प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने एक लक्ष्य तय कर लिया है जिसमें सभी अंशभागियों के हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मृत्यु भय से मुक्ति

सिखों के धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य योनि प्राणियों में सबसे उत्तम है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होता है, जिससे वह अपनी जीवन यात्रा सुगमता से पूरी कर भवसागर से मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए ईश्वर ने केवल मनुष्य को विवेक के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, परंतु अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य इस अधिकार का प्रयोग ज्यादातर क्षणिक आनंद एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करता है। इस कारण वह इंद्रियों के बस में फंसकर जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति तथा इसको जीवन पर्यंत प्राप्त करने की सुरक्षा के प्रयासों में ही गुजार देता है। जबकि मनुष्य योनि का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति तथा मोक्ष। इसके लिए जिस प्रकार शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के अंश आत्मा (जो हर प्राणी के अंदर विद्यमान हैं उससे साक्षात्कार की) का भी महत्व है। विवेक केवल मनुष्य के पास होता है इसलिए आत्मा से साक्षात्कार भी केवल मनुष्य ही कर सकता है, परंतु इसके लिए रास्ता आध्यात्मिक पथ से जाता है और मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर नैतिकता के पथ पर चलकर कर्मफल से मुक्त होकर सम स्थिति में प्रवेश करना होता है, परंतु एक साधारण मनुष्य जीवन की आपाधापी में इस मार्ग से कोसों दूर रहकर आत्म साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं करता।

ऐसा मनुष्य प्रकृति से निर्मित इस जड़ शरीर को ही स्वयं समझता है। इसलिए इसके अंत रूपी मुकाम मृत्यु से वह बहुत ज्यादा भयभीत रहता है और जैसे-जैसे आयु के अनुसार शरीर शिथिल होता जाता है उसका भय और भी बढ़ने लगता है। जबकि आध्यात्मिक एवं नैतिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कर्मफल से मुक्त होकर सम स्थिति को प्राप्त करके आत्मा से साक्षात्कार कर ईश्वर दर्शन कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के स्थान पर आत्मा को स्वयं मानता है। वह-मैं ईश्वर का अंश मानकर-अपने आप को अविनाशी समझता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के अंत का तात्पर्य केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया की तरह समझकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आइए नैतिकता एवं अध्यात्म के ज्ञान से आत्म साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करें!

कर्नल (रिटायर्ड) शिवदान सिंह

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का वक्त

देवेंद्रराज सुथार

भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, जहां 25 मिलियन से अधिक मोटर वाहन बनते हैं

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोरैडो बॉल्डर के शोधार्थियों ने साल 2010 से 2015 के बीच वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सर्वे किया जिससे पता चला कि साल 2015 में दुनिया में लगभग 3 लाख 85 हजार मौतों की वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा।

वाहनों के धुएं से होने वाली ये मौतें संकेत कर रही हैं कि आज इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आधारित तंत्र को भारत में विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हमें कई कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान देना होगा। जिस तरह से चीन ने इस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने देश में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान दिया है उससे चीन में न केवल वायु प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस निर्माता बनकर भी उभरा है। अकेले 2016 में चीन की सड़कों पर लगभग 80 हजार इलेक्ट्रिक बसें उतारी गईं। दूसरी ओर नीदरलैंड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करके इसके बाजार पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए उसने न सिर्फ चार्जिंग से संबंधित तकनीकी में निवेश किया है, बल्कि जरूरी ढांचागत विकास भी किया है। यही वजह है कि आज इस प्रौद्योगिकी का वह एक प्रमुख निर्यातक है। अध्ययन बताते हैं कि ईवी के सकारात्मक आर्थिक प्रभावों के कारण निरंतर विकास भी संभव है। भारत आज दोपहिया और ऑटो-रिक्शा का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। क्या ये वाहन देश में ईवी क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं?

भारत वर्तमान में लिथियम-आयन (ली-आयन) बैटरी का उत्पादन नहीं करता है और बैटरी पैक बनाने वाली कंपनियां चीन से आयात पर निर्भर हैं। भारत में 'मेक इन इंडिया' के तहत इसे जोड़ा जाना चाहिए। यहां बैटरी बनाने और वैकल्पिक तकनीकों की खोज में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश की आवश्यकता है। मानक वैश्विक बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति भारत में ईवी के लिए एक प्रमुख बाधा है। इसके लिए सरकार द्वारा उचित चार्जिंग तकनीक का चयन करने और उसे विकसित करने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित रहते हुए बुनियादी ढांचे की लागत को कम कर सके। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, जहां 25 मिलियन से अधिक मोटर वाहन उत्पादित होते हैं। इस क्षेत्र में अभी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले होने का अनुमान है। अभी देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 7.1 प्रतिशत है। माना जा रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस उद्योग से 65 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेंगे और सकल घरेलू उत्पाद में इसका 12 प्रतिशत से अधिक योगदान होगा।

जाहिर है यदि ई-वाहनों के मार्ग में आने वाली इन आधारभूत समस्याओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाए तो देश में इस क्षेत्र में और नई नौकरियों के सृजन में भी मदद मिलेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चुनावी बढ़त

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'मजबूत राजनीतिक जमीन पर मोदी' में यह ठीक ही कहा है कि पुलवामा हमले के प्रतिकार स्वरूप सेना ने बहुत ही सधे कदमों से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर जो प्रहार किया है, उससे देशवासियों के दिलों में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसका फायदा आम चुनाव में भाजपा को अवश्य मिलेगा। लेकिन इसके साथ इस जमीनी हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस देश में अभी तक जैसा चलता रहा है उसमें रमने वाले लोग यह नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई विकासपरक परिवर्तन हो। आज ऐसे ही आत्मकेंद्रित लोग भारतीय सेना की बहादुरी के सुबूत मांग रहे हैं। राफेल विमान के साफ-सुथरे सौदे के संदर्भ में झूठ पर झूठ बोल कर, उसे दागदार बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए आतुर रहने वाले सपा-बसपा जैसे राजनीतिक दल केवल मोदी विरोध में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को विवश हैं। कमोबेश यही विरोधाभासी स्थिति अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों की भी है। ऐसे में राहत देने वाली बात केवल इतनी है कि इन क्षेत्रीय दलों के पास देश की जनता को समझाने के लिए खोखले मोदी-विरोध के अलावा कुछ भी नहीं है। समक्ष नेतृत्व और राष्ट्रहितैषी नीतियों से रहित इनके 'मोदी-विरोध' को देश की आम जनता कोई भाव देगी, इसकी संभावना बहुत सीमित है। इस मायने में भाजपा का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन उसकी चुनावी चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

सैन्य कार्रवाई का प्रभाव नहीं

मजबूत राजनीतिक जमीन पर मोदी शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त एयर स्ट्राइक सहित समसामयिक घटनाक्रम का आम चुनाव पर व्यापक प्रभाव पड़ने का अंदेशा जताया है। यह सत्य है कि कुछ मत प्रतिशत इससे बदलें, पर वास्तविकता तो यही है कि जब भी चुनावी बयार बहनी शुरू हो जाती है तो लोग जाति-मजहब-क्षेत्र के रंग में रंगना शुरू हो जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय राजनीति में सैन्य कार्रवाइयों का चुनावों पर निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा-सपा का साथ आना मोदी की राह में बड़ी बाधा है एवं सीटों का भारी नुकसान तय लग रहा है, पर भाजपा पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में इस नुकसान की भरपाई की कोशिश में लगी है। बेशक अपनी बेमिसाल कूटनीति एवं रक्षा नीति के कारण मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है तथा विकास के विभिन्न कार्य काफी प्रभावित करने वाले हुए हैं। फिर भी राज्यों में स्थानीय भाजपा नेतृत्व के उत्साह में विभिन्न कारणों से आई कमी, प्रशासनिक ढिलाई एवं सांसदों द्वारा निगरानी के अभाव के कारण मोदी सरकार की कई योजनाओं का धरातल पर सही ढंग से नहीं उतर पाना, मतदाता जागरूकता का अभाव, क्षेत्रीय दलों द्वारा उनके प्रभाव वाले राज्यों में चुनावी मुद्दा बदलने एवं उसे जातिगत मोड़ देने के प्रयास आदि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के समक्ष जमीनी चुनौतियां हैं।

अजीत उपाध्याय, बक्सर, बिहार

महिलाओं के प्रति बदलें सोच

देश में महिलाओं के प्रति गांव के गरीबों की सोच भले ही न बदली हो, लेकिन बदलती शहरी हवा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और खुली हवा में सांस लेने का पूरा मौका दिया है। हां, इतना जरूर मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को आज भी अपनी पहचान छुपाकर अपने भावों, विचारों और तस्वीरों को प्रदर्शित करना पड़ता है। यह कहना कि मात्र कानूनी अधिकारों के जरिए महिलाओं को बराबरी और समाज में सम्मान का हक मिल सकता है तो यह महिलाओं के साथ धोखा होगा। यदि वाकई समाज और सरकार महिलाओं के प्रति चिंतित हैं तो इन्हें कानून के साथ महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने होंगे।

pintusa665@gmail.com

पत्रकारिता की स्वतंत्रता

दुनिया भर में पत्रकारिता की आजादी को लेकर हमेशा से बहस चली आ रही है। खासकर लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को ही असली आजादी कहा जाता है। पत्रकारिता आम जन की आवाज है, लेकिन इसे कुचलने की कोशिश भी की जाती है। कभी कुछ सरकारों की तरफ से तो कभी आपराधिक तत्व अपने मनमुताबिक खबर न पाकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए यह ठीक नहीं है।

भावना पाल, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।